

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 81/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि. कार्पोरेट कार्यालय 6, मंजिल, सुप्रीम बिजिनेस पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवई, मुम्बई । रजिस्टर्ड ऑफिस भेघा टॉवर तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307 नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, ब्रान्च आफिस पहली एवं दूसरी मंजिल केसर मौल, 155 ए टौक रोड, बापूनगर, एपेक्स माल के सामने, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. लोकेश कुमार मदान पुत्र श्री किशन लाल मदान
 1. पार्ट ऑफ 289 व 289 ए, गुरु नानकपुरा, आदर्श नगर, जवाहर नगर, जयपुर एवं
 - 2 122, गणेश नगर, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर ।
- 3 श्रीमती रीतिका मदान पत्नी श्री लोकेश मदान
 1. पार्ट ऑफ 289 व 289 ए, गुरु नानकपुरा, आदर्श नगर, जवाहर नगर, जयपुर
 - 2 लोकेश अगरबत्ती वर्कस् द्वारा 122, गणेशनगर, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर एवं
 - 3 पार्ट ऑफ 289 व 289 ए, गुरु नानकपुरा, आदर्श नगर, जवाहर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 17.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.12.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी लोकेश मदान के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर पार्ट 389 एवं 289 ए, गुरुनानकपुरा आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर क्षेत्रफल 146.66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 91,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय द्वित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 22 जनवरी 2018 से सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 91,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 46,93,510/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 31.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लोकेश मदान के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर पार्ट 389 एवं 289 ए, गुरुनानकपुरा आदर्श नगर जवाहर नगर जयपुर क्षेत्रफल 146.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 17.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(अज्ञतर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर